राभाक/नराकास/के-142/77वीं अ.वा.बैठक/2019-20

संख्या / No.........................

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

सत्यमेव जयते

सेवा में,

सभी कार्यालयाध्यक्ष,
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का-1) जयपुर के
समस्त केन्द्रीय कार्यालय(डाक सूची के अनुसार)

दिनांक / Date...... 718—833
03/10/19

विषय:- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का-1) जयपुर की दिनांक 29.08.2019 को सम्पन्न हुई 77वीं अर्द्धवार्षिक बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण ।

महोदय,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का-1) जयपुर की 77वीं अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 29.08.2019 को कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केंद्रीय नव राजस्व भवन, जनपथ, जयपुर के आयकर हॉल में सम्पन्न हुई । इस बैठक का कार्यवृत्त (समेकित प्रतिवेदन सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है । साथ ही सविनय लेख है कि संलग्न सूचीनुसार एवं निम्न बिन्दुओं की पालना भविष्य में आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

1. छ:माही प्रतिवेदन समय से भिजवाना ।
2. बैठकों में विभागाध्यक्ष/ कार्यालय प्रमुख का आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना ।
3. धारा 3(3) व नियम 5 की पालना सुनिश्चित करना ।
4. तिमाही कार्यशालाओं का आयोजनः पूर्ण एक दिवसीय ।
5. तिमाही बैठकों का आयोजन समय पर करना ।
6. वार्षिक कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करना इत्यादि ।

यह अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है ।

संलग्नयथोपरि - :

भवदीय,

(सोहन लाल साहू)
उप महालेखाकार (प्रशासन)
एवं सचिव नराकास (का-1) जयपुर

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाषः(0141) 2385431-39, फैक्सः(0141)2385263
Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263
ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

दिनांक 29 अगस्त, 2019 को सम्पन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का-1) जयपुर की 77वीं अर्द्धवार्षिक बैठक का कार्यवृत्त

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का-1) जयपुर की 77वीं अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 29.08.2019 को अपराह्न 3:00 बजे कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केंद्रीय नव राजस्व भवन, जनपथ, जयपुर के आयकर हॉल में आयोजित की गई । इस बैठक में श्री डी.पी. यादव, महालेखाकार (लेखा व हक.) एवं अध्यक्ष नराकास (का-1) जयपुर, श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, आयुक्त, सीमा शुल्क, जयपुर, श्री सोहन लाल साहू, उप महालेखाकार (प्रशासन) एवं सचिव नराकास (का-1) जयपुर, श्री नरेंद्र सिंह मेहरा, सहायक निदेशक (कार्यान्यवन), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, मंचासीन थे ।

बैठक का संचालन हिंदी अधिकारी श्रीमती रीतिका मोहन द्वारा किया गया । बैठक में, पिछली बैठक दिनांक 29.01.2019 के कार्यवृत्त जिसकी प्रतियां सभी संबंधित केन्द्रीय कार्यालयों को भेज दी गयी थी तथा कार्यवृत्त के किसी भी मद पर किसी भी कार्यालय से कोई टिप्पणी या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी, का उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई ।

पिछले कार्यवृत्त की पुष्टि के पश्चात बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री डी.पी. यादव, अध्यक्ष, नराकास (का-1) एवं महालेखाकार (लेखा व हक.) को अध्यक्षीय सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया ।

अध्यक्षीय सम्बोधन -:

श्री डी.पी. यादव, महालेखाकार (लेखा व हक.) एवं अध्यक्ष नराकास (का-1) जयपुर ने सम्बोधन का प्रारंभ बैठक में मंचासीन अधिकारियों एवं उपस्थित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों/प्रतिनिधियों के स्वागत से किया । उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर हम इस अर्द्धवार्षिक बैठक में राजकाज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति देखने के लिए एवं उसमें आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं । सदस्य कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति छः माही प्रतिवेदनों के माध्यम से ही ज्ञात होती है । किंतु 57 सदस्य कार्यालयों में से केवल 44 कार्यालयों से ही छः माही प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । मुझे आशा है कि आगामी बैठक के लिए, सभी सदस्य कार्यालय छः माही प्रतिवेदनों को समय से भेजेगें जिससे हिंदी के प्रयोग की सही स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकेगा ।

प्राप्त छः माही प्रतिवेदनों की समीक्षा के आधार पर ज्ञात हुआ कि "क" व "ख" क्षेत्र में जहाँ लक्ष्य 100% है, अधिकतर कार्यालयों को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना है साथ ही "ग" क्षेत्र में जहाँ लक्ष्य 65% है, एक कार्यालय ही लक्ष्य में पीछे है । इसके अलावा कहीं-कहीं तिमाही बैठकों का भी न होना पाया गया ।

यह जानकर खुशी हुई कि एक कार्यालय को छोड़कर सभी द्वारा नियमों की पालना की गई है । हिंदी में टिप्पणी लिखने के अन्तर्गत भी कुछेक कार्यालयों को छोड़कर अधिकांश ने लक्ष्य प्राप्ति की है ।

आगे उन्होंने कहा कि हम लोग बचपन से हिंदी बोलते आए हैं। इस भाषा में सबको आत्मसात करने का गुण है। यह बेहद सहज, सरल भाषा है। जैसी बोली जाती है, वैसी ही लिखी जाती है। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए हिंदी में बात बताने की कला एवं गुणों का भी वर्णन किया और आगे कहा कि यहां राजकाज में हिंदी का प्रयोग काफी अच्छा हो रहा है। इसे शत-प्रतिशत करने के प्रयास हमें निरन्तर करते रहने होंगे। अंत में उन्होंने सभी को सक्रिय सहभागिता के लिए धन्यवाद दिया।

<u>हवामहल पत्रिका-:</u>

बैठक के दौरान बताया गया कि नराकास (का-1) जयपुर की हिंदी पत्रिका "हवामहल" के सांतवे अंक (वर्ष 2018-19) के प्रकाशन के बाद, पत्रिका की प्रतियां सभी सदस्य कार्यालयों को भिजवाई जा चुकी हैं। जिन सदस्य कार्यालयों द्वारा अंशदान राशि एवं प्रकाशन योग्य सामग्री नियमित रुप से भिजवाई जा रही है, उन्हें धन्यवाद दिया गया। उन्नीस सदस्य कार्यालयों से वर्ष 2018-19 का तथा छत्तीस सदस्य कार्यालयों से वर्ष 2019-20 का अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है। इन सदस्यों से अंशदान भिजवाने हेतु तथा सभी सदस्य कार्यालयों से प्रकाशन योग्य सामग्री भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। साथ ही आग्रह किया गया कि जो सदस्य कार्यालय **"हवामहल"** पत्रिका के सम्पादक मंडल में तथा सदस्य कार्यालयों को दिए जाने वाले पुरस्कारों हेतु गठित मूल्यांकन समिति में भी शामिल होना चाहते हैं तो कृपया इस संबंध में पत्र भिजवाएं।

<u>हिंदी शिक्षण योजना:-</u>

बैठक में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित हिंदी भाषा प्रशिक्षण के बारे में भी बताया गया कि एक पूर्णकालिक हिंदी भाषा प्रशिक्षण केंद्र जनवरी, 2015 से जयपुर में संचालित है। इस केंद्र में जयपुर स्थित केंद्रीय कार्यालयों,बैंको,निगमों,उपक्रमों के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हिंदी भाषा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में माह जुलाई से नवम्बर, 2019 तक 97 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले लेंगे ।

<u>75वीं अर्द्धवार्षिक बैठक में गठित उप समिति को बंद किया जाना:-</u>

नराकास (का-1) की 75वीं अर्द्धवार्षिक बैठक (दिनांक 20.08.2018) में सहायक निदेशक, राजभाषा के सुझाव दिये जाने पर, अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से पाँच सदस्य कार्यालयों की एक उप समिति का गठन किया गया था। लेकिन बैठक में उप समिति के सदस्यों ने समिति को आगे जारी रखने में असमर्थता यह कहकर प्रकट की कि उनके द्वारा पत्राचार किए जाने पर संबंधित कार्यालयों द्वारा अपेक्षित प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई तथा कहा कि सदस्य कार्यालयों को निर्देशित करने का कार्य अन्ततोगत्वा नराकास (का-1) का अध्यक्षीय कार्यालय, कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा ही किया जाना है तथा इसके अतिरिक्त भी यदि इस हेतु अर्द्धशासकीय पत्र/ पत्र भेजने की आवश्यकता होती है तो वह गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जाने चाहिएं। अतः इस उप समिति की कोई आवश्यकता नहीं है।

सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) की सहमति तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उप समिति को तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

<u>छः माही प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षाः-</u>

नराकास (का-1) का अध्यक्षीय कार्यालय, कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर की हिंदी अधिकारी ने दिनांक 01.01.2019 से 30.06.2019 तक की छः माही प्रगति प्रतिवेदनों की स्थिति प्रस्तुत करते हुए बताया कि कुल 57 सदस्य कार्यालयों में से 44 कार्यालयों से ही प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। समेकित प्रतिवेदन संलग्न है। प्राप्त प्रतिवेदनों के आंकड़ों के अनुसार केवल एक ही कार्यालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) की अवहेलना की गई (समेकित प्रतिवेदन की क्रम संख्या 19)। यह अच्छी बात है कि राजभाषा नियम 5 की किसी भी सदस्य कार्यालय द्वारा अवहेलना नहीं की गई ।

राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार "क" एवं "ख" क्षेत्र में प्रेषित किये जाने वाले हिंदी में मूल पत्राचार का 100 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है। "क" व "ख" क्षेत्र में चार कार्यालयों (क्र.सं.13, 34, 36 व 41) ने तथा "क" क्षेत्र में केवल दो कार्यालयों (क्र.सं. 30 व 42) द्वारा तथा "ख" क्षेत्र में केवल चार कार्यालयों (क्र.सं. 04,11,14 व 39) द्वारा 100% लक्ष्य प्राप्त किए है। जबकि "क" क्षेत्र में चार कार्यालय (क्र.सं. 01, 14, 16, व 32) एवं "ख" क्षेत्र में एक कार्यालय, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर (क्र.सं. 01) लक्ष्य के बिल्कुल करीब हैं। इन्होने 99% से अधिक लक्ष्य प्राप्त किये हैं। शेष सभी सदस्य कार्यालयों को "क" व "ख" क्षेत्र में प्रेषित किये जाने वाले हिंदी में मूल पत्राचार का निर्धारित 100 प्रतिशत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास करने होंगे। "ग" क्षेत्र में जहाँ पत्राचार का लक्ष्य 65% है। केवल एक कार्यालय राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, जयपुर (क्र.सं.33) के अतिरिक्त सभी ने लक्ष्य प्राप्त किया है। 19 कार्यालयों ने लक्ष्य प्राप्ति की है तथा 24 कार्यालयों नें "ग" क्षेत्र में कोई भी पत्र जारी नहीं किया है।

हिंदी टिप्पण लेखन में 75 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है। केवल पाँच कार्यालयों (क्र.सं.19, 29, 31,33 व 37) को छोड़कर शेष ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये हैं। राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक एवं एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना आवश्यक है परन्तु दो कार्यालयों (क्र.सं. 21 व 26) द्वारा इस छः माही अवधि में एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी तथा पाँच कार्यालयों (क्र.सं. 04, 24, 31, 34 व 44) ने छः माही के दौरान एक ही विभागीय बैठक का आयोजन किया गया । सभी कार्यालयों को प्रत्येक तिमाही में एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना अपेक्षित है किंतु सोलह कार्यालयों (क्र.सं. 04, 08, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 39, 40, 41, 43 व 44) द्वारा इस छः माही में एक भी कार्यशाला आयोजित नहीं की गई है और दो कार्यालयों (क्र.सं. 36 व 37) द्वारा केवल एक ही कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

एक कार्यालय प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, जयपुर (क्र.सं.34) द्वारा कार्यशाला आयोजन की तिथियां नहीं बताई गई केवल प्रशिक्षितों की संख्या बताई गई है। आगे बताया गया कि सदस्य कार्यालयों के सुझावानुसार ही जनवरी, 2018 से इस कार्यालय की कार्यशाला में 05 सदस्य कार्यालयों को नामित किया जा रहा था। माह अगस्त, 2019 की कार्यशाला में 10 सदस्य कार्यालयों को नामित किया जाना निर्धारित कर, नामांकित किया गया। 09 कार्यालयों ने नामांकन भिजवाया। नामांकन भिजवाने के बाद भी तीन कार्यालय, कार्यालय प्रवर अधीक्षक रेल डाक सेवा जेपी.मंडल, जयपुर, कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्र, जयपुर तथा कार्यालय इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविधालय, जयपुर (इन्होने छमाही प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया है) कार्यशाला में उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित 06 कार्यालयों ने पूर्ण एक दिवसीय कार्यशाला में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया। 14 सदस्य कार्यालयों (क्र.सं. 03, 19, 21, 24, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 43 व 44) के बारे में बताया गया कि इन्होंने हालांकि नियमों की अवहेलना तो नहीं की लेकिन लक्ष्य प्राप्ति की कई मदों में इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

बैठक में आश्वस्त किया गया कि यह कार्यालय सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है लेकिन राजकाज में हिंदी का प्रयोग तो आपको ही सुनिश्चित करना होगा।

<u>पुरस्कार वितरण</u>

राजकाज में हिंदी में श्रेष्ठ/सर्वाधिक कार्य करने वाले "क" एवं "ख" वर्ग के निम्नलिखित कार्यालयों को मंचासीन उच्चाधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया गया।

"क" वर्ग

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पुरस्कार
1.	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान,जयपुर	प्रथम
2.	कार्यालय आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) जोधपुर, मुख्यालय जयपुर	द्वितीय
3.	कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, जयपुर	तृतीय
4.	कार्यालय प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर	सांत्वना-प्रथम
5.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	सांत्वना-द्वितीय

"ख" वर्ग

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पुरस्कार
1.	कार्यालय आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर (अंकेक्षण) जयपुर	प्रथम
2.	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर	द्वितीय
3.	भारतीय मानक ब्यूरो, जयपुर	तृतीय
4.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जयपुर	सांत्वना-प्रथम
5.	डाक व दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालय, जयपुर	सांत्वना-द्वितीय

राजभाषा प्रतिनिधि का सम्बोधन:-

श्री नरेंद्र सिंह मेहरा सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने सम्बोधन का प्रारम्भ सभी सदस्यों को नियम 5 की अनुपालना करने पर बधाई देने से किया । उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन योजनाओं में भी रूचि लेने की अपील की । साथ ही प्रत्येक सदस्य कार्यालय में हिंदी से संबंधित रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा । उन्होंने कहा कि भविष्य में छ:माही प्रतिवेदन भिजवाया जाना एवं विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों की शत प्रतिशत सहभागिता आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

तिमाही प्रगति प्रतिवेदनों के बारे में उन्होंने अवगत कराया कि यह प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली को उनकी (राजभाषा विभाग) साइट पर ऑन लाईन ही भेजें, डाक से नहीं क्योंकि हर वर्ष राजकाज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति पर पुरस्कार देने हेतु प्रतिवेदनों का चुनाव ऑन लाइन भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों में से ही किया जाता है ।

"क" व "ख" क्षेत्र में हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य 100% एवं "ग" क्षेत्र में 65% है । इसमें उन्होंने शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति वाले कार्यालयों को तथा जिन्होंने 90% से ऊपर प्राप्त किया है, बधाई दी तथा शेष कार्यालयों को भी प्रयासरत रहने हेतु कहा । उन्होंने नराकास (का-1) की हिंदी पत्रिका "हवामहल" के सातवें अंक (वर्ष 2018-19) के प्रकाशन पर प्रसन्नता जाहिर की और सभी सदस्य कार्यालयों से आगामी अंकों हेतु प्रकाशन योग्य सामग्री/रचनाएँ एवं अंशदान राशि नियमित रूप से भिजवाने हेतु कहा ।

उन्होंने नराकास (का-1) की अध्यक्षता कर रहे, इस कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष एवं अध्यक्ष नराकास को, बधाई दी कि उनका कार्यालय राजकाज में हिंदी के प्रयोग में बेहतर स्थिति को बनाए हुए है और कहा कि इसलिए उनके कार्यालय को प्रतिवर्ष पुरस्कार भी मिलते हैं । उन्होंने अन्य पुरस्कृत कार्यालयों को भी बधाई दी ।

अपने उदबोधन का समापन उन्होंने अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सभी को धन्यवाद देकर किया ।

अगली बैठक की तिथि की घोषणा:-

अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा प्रतिनिधि श्री नरेंद्र सिंह मेहरा, सचिव एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों की सहमति से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का-1) जयपुर की अगली अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 28 जनवरी, 2020 (मंगलवार) को आयोजित किए जाने की घोषणा की ।

अन्त में सभी सहभागियों का इस बैठक को सफल बनाने के लिए श्री सोहन लाल साहू उप महालेखाकार (प्रशासन) एवं सचिव नराकास (का-1) द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(सोहन लाल साहू)
उप महालेखाकार (प्रशासन)
एवं सचिव नराकास (का-1) जयपुर

Minutes of 77th six monthly Meeting of Town Official Language Implementation Committee (Office-1), Jaipur held on 29.08.2019

77th Six monthly Meeting of Town Official Language Implementation Committee (Office-1), Jaipur was held on 29.08.2019 at 03.00 P.M. at Income Tax Hall in the Office of Principal Chief Income Tax Commissioner, New Central Revenue Building, Janpath, Jaipur. Shri D. P. Yadav Accountant General (A&E) & Chairperson of TOLIC (Office-1) Jaipur, Shri Subhash Chandra Agarwal, Commissioner, Customs, Jaipur Shri Sohan Lal Sahu Dy. Accountant General(Administration) & Secretary of TOLIC (Office-1) Jaipur, and Shri Narendra Singh Mehra, Asstt. Director(Implementation)Official language Deptt., New Delhi, were seated on the dias.

Smt. Reetika Mohan, Hindi Officer convened the meeting .The minutes of the previous meeting, copies of which were sent to all the concerned offices, have been confirmed unanimously and no note or objection was received on any item of Minutes from any office.

After confirmation of the previous meeting minutes, Shri D. P. Yadav, Accountant General (A&E) and Chairperson of TOLIC (Office-1) was invited for a speech.

Speech of Chairperson:-

At the outset of his speech, Shri D. P. Yadav, Accountant General (A&E) and Chairperson of TOLIC (Office-1) Jaipur, who was presiding over the meeting, welcomed the officers, sitting on the dias and all the Head of the Departments/Representatives of the offices present in the meeting. He said that once again, we have gathered here to discuss the position of use of Hindi in official work and the problems, occurring in use of it. Position of use of Hindi in member offices is reviewed through half yearly reports. But only 44 Offices out of 57 Member Offices have sent half yearly reports. I hope that all member offices would submit their half yearly report for the following meeting so that actual position of use of Hindi may be evaluated.

It was noticed that in region A & B where target is 100%, most of the offices are to attempt to achieve 100% target and in region C where target is 65%, only One office is fall behind in achieving target. Somewhere quarterly meetings were not conducted.

We are glad to know that all offices have made compliance of the rules except one office. In the matter of note writing except some offices, most of the offices have achieved the targets.

Further He said that we are speaking Hindi from childhood. This language has the property of assimilating all. This is very easy and simple language. It is written as it is spoken. He narrated the way of talking & virtues of Hindi with many examples and added that the use of Hindi in official work is being done more better. We have to keep trying continuously to make it cent percent use. At last he thanked to all for active participation.

Magazine "Hawamahal":-

During the Meeting it was mentioned that after the publication of seventh issue of "Hawamahal" Hindi Magazine (year 2018-19) of TOLIC (Office-1) Jaipur, copies of magazine were sent to all member offices. They were thanked for sending regularly Contribution amount and publication material for the magazine. Contribution amount for the year 2018-19 from nineteen member offices and for the year 2019-20 from thirty six offices have not been received. These members were requested to send the same. All member offices were requested to send publication material. It is also requested that member offices who are interested to join in the Editorial Board of "Hawamahal"magazine and in the Evaluation Committee for Awards to member offices, may send a letter regarding it.

Hindi Teaching Scheme

In regard to Hindi language Training programmes it was stated that one fulltime Hindi Language Training centre is working in Jaipur. In this centre, employees of Central Govt. Offices/Banks/Corporations/Undertakings get training. 97 trainees will be taking training in the various programmes of Hindi language in the month of July-November 2019.

Closure of sub-committee constituted in 75th half yearly Meeting

In 75th half yearly Meeting (20-08-2018) of TOLIC (Office-1) on proposal of Assistant Director, Official language, a Sub-Committee of five member offices was constituted with approval of Hon'ble chairperson. But in this meeting the members of sub-committee shown their inability to continue this sub-committee on the grounds that after correspondence with member offices, they did not get expected response and finally the work of instruction to member offices is to be done by Presidential TOLIC (Office-1) i.e. Office of the Accountant General(A&E) Rajasthan, Jaipur. They further added that demi official letters/letters if required should be send through Ministry of Home Affairs, Official language Department. So there is no need of sub-committee. With the consent of Assistant Director (Implementation) and approval of Chairperson it was decided to dismiss sub-committee with immediate effect.